न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 53/2017

अपीलांट

1. भंवरसिंह वल्द मोडसिंह जाति राजपूत उम्र 53 साल
2. मेथीकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासीगण पादरली तहसील आहोर जिला जालोर(राज)

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, आहोर जिला जालोर (राज)
2. सहायक अभियंता, जवाई कमान क्षेत्र सुमेरपुर जिला पाली (राज)
3. गणेशा पुत्र जवाना जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
4. अजेतींग पुत्र जवाना जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
5. भगवानसिंह पुत्र जवाना जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
6. मोहनसिंह वल्द करणजी जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
7. मंगलसिंह वल्द करणाजी जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
8. आसुपालसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
9. भरतसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
10. कमलाकंवर पुत्री खीमसिंह राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
11. गुलाबकंवर पुत्री खीमसिंह राजपूत निवासी पादरली तहसील आहोर
12. दरियाकंवर पत्नी खीमसिंह राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
13. जेठूसिंह पुत्र सदिया जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
14. बेरसिंह पुत्र सदिया जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
15. लासी पत्नी सदिया राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
16. भोपसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
17. प्रेमसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
18. नारायणसिंह पुत्र पीराजी राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
19. भोपालसिंह पुत्र पीराजी जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
20. लक्ष्मणसिंह पुत्र पीराजी जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
21. जगदीश पुत्र दानसिंह जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
22. गोरधनसिंह पुत्र दुदा जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
23. तगा पुत्र दुदा जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
24. लीलाकंवर पुत्री दानसिंह जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
25. अणसीकंवर पत्नी दानसिंह जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर
26. पुकसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपुत निवासी पादरली तहसील आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उपस्थित :–

1. श्री गुणेशसिह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 26 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.03.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा वाद संख्या 75/2015 बउनवान भंवरसिंह वगैरा बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 26 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा एक दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती पेश कर निवेदन किया कि मौजा पादरली तहसील आहोर जिला जालौर में खसरा संख्या 0.72 हैक्टर, 0.69 हैक्टर, आराजी तत्कालीन जमाबंदी में किस्म भूमि कॉलम में नहरी दोयम दर्ज है। शेष रकबा 1.03 हैक्टर, 0.14 हैक्टर, 4.77 हैक्टर, 3.44 हैक्टर, 3.43 हैक्टर, 8.48 हैक्टर, 1.14 हैक्टर, आराजी की किस्म चाही व जाव दोयम व बंजड अंकित है जबकि उक्त आराजी पर बेरा नहीं था, न कभी बेरे में पानी था, न बेरे से सिचाई की एवं बेरे पर डिजल पम्प सेट या पम्प सैट या विघुत कनेक्शन लिया। जब बेरे से सिंचित होना साबित ही नही है तो भूमि की किस्म चाही दर्ज की है जो गलत है अत अपीलांट के हिस्सा 1/6 व 1/2 की किस्म जमाबंदी में नहरी दर्ज करावे एवं साथ ही नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध करावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 द्वारा अपीलांट का दावा खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में भूमि की आधी अधूरी किस्म नहरी दर्ज है साथ ही खसरा नंबर 183 कच्ची नहर है जो अपीलांट के खसरे के बीच में से होकर जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 05 के अन्तर्गत रेकर्ड दुरूस्ती भूप्रबंध विभाग से होना बताया है जबकि सहायक कलक्टर, राजस्व अपील प्राधिकारी व बोर्ड की खण्डपीठ को भूप्रंबध द्वारा तैयार किये रेकर्ड में दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त पूर्व में उक्त भूमि के सहखातेदार ने हाजा न्यायालय के समक्ष एक अपील किस्म परिवर्तन हेतु प्रस्तुत की गई थी जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.09.1997 द्वारा उक्त खसरान संख्या 181, 182, 184, व 185 रकबा 25.55 के 1/6 हिस्से को चाही सोयम से जवाई दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसकी पालना वर्तमान जमाबंदी में की जा चुकी है तथा नहर से सिंचाई हेतु इसी खसरो में उनके हिस्से की सीमा तक पानी दिया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा वाद के समर्थन में पीडब्लू–1, पीडब्लू–2 के बयान कराये गये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त गवाहों एवं तथ्यों का ध्यान में न रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष जो अनुतोष चाहा है, जिसमें किस्म परिवर्तन संबधी अधिकार राज्य सरकार में निहित है एवं सिंचाई हेतु पानी देने का अधिकार जल संसाधन विभाग से संबधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों का ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है अत अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 181, 182, 184, 185 के अन्तर्गत अपने हिस्से की आराजी 1/6 व 1/12 की किस्म चाही से नहरी करने हेतु रेकर्ड दुरूस्ती बाबत दावा प्रस्तुत किया साथ ही उक्त खसरो की सिंचाई हेतु नहरी पानी की मांग की। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण द्वारा खसरा नंबर 181, 182, 184, 185 में अपने हिस्से की आराजी की किस्म नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया। हाजा न्यायालय के समक्ष पूर्व में खसरान नंबर 181, 182, 183, 184 ,185 के संबध में एक वाद धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से को जवाई दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया। जिस पर हाजा न्यायालय की पूर्व पीठ द्वारा दिनांक 03.09.1997 द्वारा उक्त खसरान की आराजी को जवाई दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2068–2071 में उक्त आदेश की पालना भी हो चुकी है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त खसरान के अंदर सिंचाई हेतु नहरी पानी का प्रयोग होता है। अपीलांटगण द्वारा भी उक्त खसरान नंबर 181, 182, 183, 184 ,185 में अपने 1/6, 1/12 हिस्से तक की आराजी के संबध में सिंचाई के पानी हेतु नहरी दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है। हाजा न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 03.09.1997 की पालना में अपीलांटगण के खसरान को नहरी दर्ज किया जाता है तो हाजा न्यायालय को किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 अपास्त किया जाता है। एवं निर्देश दिये जाते है कि हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 30.09.1997 की पालना में खसरान नंबर 181, 182, 183, 184 ,185 में अपीलांटगण के 1/6, 1/12 हिस्से के संबध मे विधिवत कार्यवाही करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली